



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/50

—आदेश—

दिनांक 09/01/2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का सेवतलाव तथा तहसीलदार बाली की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सेवतलाव पटवार हल्का सेवतलाव तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 209 व 309 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सेवतलाव	209, 309	रमेशसिंह पुत्र बख्तावरसिंह	रमेशकुमार उर्फ रमेशसिंह पुत्र बख्तावरसिंह



क्रमांक/कोर्ट/2025/16-18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का सेवतलाव को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री रमेशकुमार पुत्र बख्तावरसिंह जाति पुरोहित निवासी सेवतलाव तहसील बाली को सूचनाार्थ।

3
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बाली
दिनांक 09/01/2025

3
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बाली